27.06.2019	पत्रावली पेश हुई। दिनांक 18.06.2019 को सहखातेदारो की सहमती ; तहसीलदार बेरू की रिपोर्ट व माननीय राजस्वमण्डल के उपरोक्त वर्णित आदेश / निर्देशानुसार मौजा नरवाई के आ.न. 839, 841 किता 2 रकबा 0-43 मे उपरोक्त वर्णितानुसार हिस्से की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

27/6/19

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेरू (सिलीगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 57/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
वादी

बनाम

1. सुरेश चन्द्र पिता हीरालाल धाकड निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
2. कैलाशचन्द्र पिता हीरालाल धाकड निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
3. देवीलाल पिता जयचन्द धाकड निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
4. छीतरलाल पिता गोरधन कुम्हार निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
5. रतनलाल पिता गोरधन कुम्हार निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
6. सायरबाई पिता गोरधन कुम्हार निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
7. छोटीबाई पिता गोरधन कुम्हार निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
8. सम्पतबाई पिता गोरधन कुम्हार निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 8 निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ–126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया,दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित को सना गया व निर्णय आदेश हेतु दिनांक पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 865 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम नंदवाई पटवार सर्कल नन्दवाई के आ.नं. 839, 841 किता–2 रकबा 0.43 हैक्टर वर्ष 2007 में खातेदार चतरभुज पिता नगजीराम नाई द्वारा स्वयं का निहित हिस्सा 1/2 का बेचान कर रजिस्ट्री करा दी एवं ना.सं. 981 दिनांक 20.07.2007 से केतागण सुरेशचंद्र कैलाशचन्द्र, पिता हीरालाल देवीलाल पिता जयचंद धाकड गोवर्धनलाल पिता माधू कुम्हार हि.ब. 1/2 कानाम दर्ज हुआ। गोवर्धनलाल के फौत होने से नामान्तरण संख्या 1079 व 1585 से वारिसान छीतरलाल रतनलाल सायरबाई छोटीबाई सम्पतबाई पिता गोरधन का नाम 1/6 हिस्से पर निर्णित हुआ है। शेष केतागण सुरेशचंद्र कैलाशचंद्र पिता हीरालाल देवीलाल पिता जयचंद हि0 1/3 दर्ज है। मुताबिक विक्रय विलेख व ना.सं. 981 अनुसार केतागण का हिस्सा बराबर अंकित है जिससे केतागण के प्रत्येक केता के हिस्सा बराबर होने से चार हिस्से बनते है परन्तु नामा.सं. 1079 में एक केता गोरधन की मृत्यु होने पर तीन हिस्से दर्ज कर दिये जिससे गोरधन के वारिसान का 1/6 हिस्सा दर्ज हुआ है, जबकि कि चार

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

हिस्से होकर 1/8 हिस्सा प्रत्येक का बनता है जिससे सुरेश 1/8, कैलाश 1/8, देवीलाल 1/8 व गोरधन के वारिसान का 1/8 हिस्सा होना चाहिये।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कर आज दिनांक को प्रतिवादीगण मे से उपस्थित पक्षकारो ने बताया की मौजा नंदवाई की आराजी नम्बर 839, 841 किता– 2 रकबा 0.43 है. मे उनके द्वारा चतरभुज पिता नगजीराम नाई का निहित हिस्सा 1/2 मे से हम केतागण द्वारा हिस्सा बराबर से भूमि कय की गई जिससे प्रत्येक का हिस्सा 1/8–1/8–1/8–1/8 बनता है। मजमे आम में जानकारी करने पर भी उपस्थित ने हिस्सा बराबर से मौके पर काबिज होने की जानकारी दी गई। अतः उक्त वर्णित खाता सं. 99 सम्वत 2072–75 में अंकित आराजी नं. 839, 841 किता– 2 रकबा 0.43 हैक्टर मे दुरूस्ती की जाकर सुरेशचंद्र 1/8 कैलाशचंद्र 1/8, पिता हीरालाल, देवीलाल पिता जयचंद 1/8 धाकड, छीतरलाल रतनलाल सायरबाई छोटीबाई सम्पतबाई पिता गोरधन हि.ब. 1/8 अनुसार हिस्से बाबत डिकी किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नंदवाई के खाता सं. 99 सम्वत 2072–75 में अंकित आराजी नं. 839, 841 किता– 2 रकबा 0.43 हैक्टर मे दुरूस्ती की जाकर सुरेशचंद्र 1/8 कैलाशचंद्र 1/8, पिता हीरालाल, देवीलाल पिता जयचंद 1/8 धाकड, छीतरलाल रतनलाल सायरबाई छोटीबाई सम्पतबाई पिता गोरधन हि.ब. 1/8 अनुसार हिस्से साकिन देह खातेदार दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। शेष 1/2 हिस्से के खातेदार यथावत रहेगें।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिकी तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 57/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
वादी

बनाम

1. सुरेश चन्द्र पिता हीरालाल धाकड निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
2. कैलाशचन्द्र पिता हीरालाल धाकड निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
3. देवीलाल पिता जयचन्द धाकड निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
4. छीतरलाल पिता गोरधन कुम्हार निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
5. रतनलाल पिता गोरधन कुम्हार निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
6. सायरबाई पिता गोरधन कुम्हार निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
7. छोटीबाई पिता गोरधन कुम्हार निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
8. सम्पतबाई पिता गोरधन कुम्हार निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश चन्द्र सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नंदवाई के खाता सं. 99 सम्वत 2072–75 में अंकित आराजी नं. 839, 841 किता– 2 रकबा 0.43 हैक्टर मे दुरूस्ती की जाकर सुरेशचंद्र 1/8 कैलाशचंद्र 1/8, पिता हीरालाल, देवीलाल पिता जयचंद 1/8 धाकड, छीतरलाल रतनलाल सायरबाई छोटीबाई सम्पतबाई पिता गोरधन हि.ब. 1/8 अनुसार हिस्से साकिन देह खातेदार दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। शेष 1/2 हिस्से के खातेदार यथावत रहेगें।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चितौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

-----लगातार

Scanned by CamScanner